प्रेस नोट दिनांक 07.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा कुल 06 किलो 190 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 03 अभियुक्तों युवराज, निखिल व आलोक को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत औतारपुर रामवन गमन मार्ग तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थानाध्यक्ष बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह रि0का0 अभिषेक कुमार व रि0का0 सत्यप्रकाश मय वाहन सरकारी चालक का० अजीत कुमार, स0उ0नि0 राजाराम सिंह, रि0का0 सिकन्दर मौर्य, रि0का0 राहुल यादव, रि0म0का0 आँचल सिंह, रि0म0का0 मिली सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तों, 01. युवराज सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह नि० ग्राम उमरी कोटिला थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष, 02. निखिल सिंह पुत्र लाल सिंह नि० ग्राम कोर्रही थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष, 03.आलोक सिंह पुत्र सूर्य प्रताप सिंह नि0 ग्राम कोर्रही थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष, को कुल 06 किलो 190 ग्राम नाजायज गांजा के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत औतारपुर रामवन गमन मार्ग तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 06 किलो 190 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 198/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद चार पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. युवराज सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह नि० ग्राम उमरी कोटिला थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष।
2. निखिल सिंह पुत्र लाल सिंह नि० ग्राम कोर्रही थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष।
3. आलोक सिंह पुत्र सूर्य प्रताप सिंह नि0 ग्राम कोर्रही थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी- कुल 06 किलो 190 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह रि0का0 अभिषेक कुमार व रि0का0 सत्यप्रकाश मय वाहन सरकारी चालक का० अजीत कुमार, स0उ0नि0 राजाराम सिंह, रि0का0 सिकन्दर मौर्य, रि0का0 राहुल यादव, रि0म0का0 आँचल सिंह, रि0म0का0 मिली सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना का सफल अनावरण, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

चोरी की गई चांदी की पायल, नकदी एवं चोरी के ट्रैक्टर पार्ट बरामद, अभियुक्तों द्वारा अन्य चोरी की घटनाओं में भी संलिप्तता स्वीकार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.07.2026 को थाना उदयपुर पर वादी निवासी पूरे ओरी मजरा रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी किए जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 143/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना उदयपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला, उ0नि0 संजय यादव मय हमराह आरक्षी गिरीश कुमार, आरक्षी विधिचन्द, आरक्षी रवि कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन, सुरागरसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए मु0अ0सं0 143/2026 धारा 305/331 (4) बीएनएस 02 अभियुक्तों 1. सोनू सिंह उर्फ अमरेश सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी पूरे नेवली मजरा रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 34 वर्ष 2. शिवम सिंह पुत्र भोला सिंह, निवासी पूरे नेवली मजरा रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की घटना से संबंधित 02 जोड़ी चांदी की पायल (सफेद धातु), ₹6,000/- नकद एवं चोरी के 02 अदद ट्रैक्टर के लोहे के पार्ट बरामद किए गए। अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा उक्त चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा अन्य चोरी की घटनाओं में भी संलिप्तता स्वीकार की गई।

बरामदगी एवं विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सोनू सिंह उर्फ अमरेश सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी पूरे नेवली मजरा रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 34 वर्ष।

2. शिवम सिंह पुत्र भोला सिंह, निवासी पूरे नेवली मजरा रेहुआलालगंज, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने दिनांक 22/23 जुलाई 2026 की रात्रि में थाना उदयपुर क्षेत्र के ग्राम पूरे ओरी स्थित एक मकान में पीछे के दरवाजे की कुंडी एवं कमरे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया था। घर के अंदर रखे बक्से एवं अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण तथा नकदी चोरी कर मकान के पीछे के रास्ते से फरार हो गए थे। चोरी के बाद बक्से को नदी किनारे ले जाकर उसमें रखे सामान एवं नकदी निकाल ली तथा खाली बक्से को नदी में फेंक दिया। अभियुक्तों ने बताया कि चोरी किए गए आभूषणों में से अधिकांश को पैसों की आवश्यकता के कारण अलग-अलग अज्ञात व्यक्तियों को कम कीमत पर बेच दिया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 02 जोड़ी चांदी की पायल (सफेद धातु) एवं चोरी की रकम में से ₹6,000/- नकद बरामद किए गए। साथ ही अभियुक्तों ने थाना साँगीपुर क्षेत्र में भी चोरी की अन्य घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिनके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई एवं सत्यापन किया जा रहा है।

बरामदगी-
01. 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु)।
02. ₹6,000/- नकद।
03. चोरी के 02 अदद ट्रैक्टर के लोहे के पार्ट (एक बम्पर एवं एक गोल चकरीनुमा पार्ट)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला, उ0नि0 संजय यादव मय हमराह आरक्षी गिरीश कुमार, आरक्षी विधिचन्द, आरक्षी रवि कुमार थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा चोरी की विभिन्न घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: थाना लालगंज पुलिस द्वारा चोरी की विभिन्न घटनाओं का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का जनरेटर, समरसेबल इंजन, घटना में प्रयुक्त मैजिक डाला एवं नकदी बरामद-

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 01 जनरेटर मशीन, 01 समरसेबल इंजन (पम्पिंग सेट), घटना में प्रयुक्त 01 मैजिक डाला तथा चोरी के जेवरात बेचने से प्राप्त ₹3,200/- नकद बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांक 06.08.2026 को वादी श्री अवधेश नारायण शुक्ल पुत्र स्व० शारदा प्रसाद शुक्ल, निवासी ग्राम सलेम भदारी, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना लालगंज पर सूचना दी गई कि उनके

निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों द्वारा 'प्रकाश' कंपनी का जनरेटर चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 295/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार प्रयास किए गए।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल, का0 राहुल एवं का0 राहुल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सरायजगत सिंह प्राथमिक विद्यालय के पास से 02 अभियुक्तों 1-मो0 सद्दीक पुत्र मो0 बसीर एवं 2-मो0 कैफ पुत्र मो0 बसीर, निवासीगण ग्राम खानापट्टी तकिया, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद जनरेटर मशीन, 01 अदद समरसेबल इंजन (पम्पिंग सेट), चोरी की घटना में प्रयुक्त मैजिक डाला तथा चोरी के जेवरात बेचने से प्राप्त ₹3,200/- नकद बरामद हुए।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने साथी दाऊद उर्फ अरबाज निवासी ग्राम महिमापुर, थाना लालगंज के साथ मिलकर दिनांक 05/06.08.2026 की रात्रि में ग्राम सलेम भदारी स्थित निर्माणाधीन मकान से जनरेटर मशीन तथा थाना लीलापुर क्षेत्र से समरसेबल इंजन (पम्पिंग सेट) चोरी किया था। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मई माह में थाना लालगंज क्षेत्र के पूरेवाचन लकुरी में एक मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए थे, जिन्हें बेचकर प्राप्त धनराशि का आपस में बंटवारा कर लिया था। बरामद ₹3,200/- उसी चोरी के जेवरात बेचने से प्राप्त हिस्से की शेष धनराशि है।

जांच के दौरान बरामद जनरेटर की पहचान- वादी द्वारा अपने चोरी हुए जनरेटर के रूप में की गई। सत्यापन में पाया गया कि जनरेटर चोरी के संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 295/2026, धारा 303(2) बीएनएस, समरसेबल इंजन चोरी के संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 267/2026, धारा 303(2) बीएनएस तथा पूर्व में जेवरात चोरी के संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 170/2026, धारा 305, 331(4), 324(4) बीएनएस पंजीकृत है।

उक्त बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 295/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—
1-मो0 सद्दीक पुत्र मो0 बसीर, निवासी ग्राम खानापट्टी तकिया, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2-मो0 कैफ पुत्र मो0 बसीर, निवासी ग्राम खानापट्टी तकिया, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—
1- 01 अदद जनरेटर मशीन।
2- 01 अदद समरसेबल इंजन (पम्पिंग सेट)।
3- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मैजिक डाला।
4- चोरी के जेवरात बेचने से प्राप्त ₹3,200/- नकद।

पुलिस टीम— उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल, का0 राहुल एवं का0 राहुल यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस, स्वॉट टीम/SOG, सर्विलांस सेल एवं स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही में चोरी/ लूट की घटना का सफल अनावरण, कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन एवं अन्य सामान बरामद—

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करने, चोरी किए गए माल के बंटवारे एवं फरारी के संबंध में किया गया खुलासा
अभियुक्तों के कब्जे से घटना से संबंधित सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन तथा मंदिर की सजावट में प्रयुक्त झूमर बरामद किए गए।
घटना के अनावरण हेतु गठित पुलिस टीमों की प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप घटना का सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई-
उक्त अभियोग के सफल अनावरण के क्रम में पूर्व में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार किए गये-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी निवासी ग्राम गोदलपट्टी, पोस्ट अमरगढ़, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना आसपुर देवसरा पर तहरीर दी गई कि दिनांक 02.08.2026 को वह अपने घर के दरवाजे पर बैठी थीं। उसी दौरान 03-04 अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे, घर के पीछे से घर में प्रवेश कर कमरे में रखी आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चाँदी के कीमती जेवरात एवं कपड़े चोरी करने लगे। खटपट की आवाज सुनकर जब वादिनी कमरे में पहुँचीं, तो उक्त व्यक्तियों ने उन्हें धक्का देकर उनके हाथ-पैर बाँध दिए। किसी प्रकार वादिनी घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगीं। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुँचने लगे, जिन्हें आता देख उक्त अज्ञात व्यक्ति चोरी किए गए सामान के साथ मौके से भाग निकले। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 208/2026, धारा 331(4), 305, 309(4), 115(2), 127(2), 3(5) बीएनएस बनाम 03-04 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सेल एवं स्पेशल टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया तथा चोरी गए सोने-चांदी

के जेवरात एवं अन्य सामान बरामद करते हुए कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों का विवरण-
1. मोहित सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम कटार गोडे चिलबिला थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।
2. रजनीश पटेल पुत्र स्व0 जीतलाल पटेल निवासी मेंहदिया थाना कन्धई प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।
3. गोविंद सिंह पुत्र सुरेश बहादुर सिंह, निवासी ग्राम गोड़े, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
4. डब्लू वर्मा पुत्र द्वारिका प्रसाद, निवासी ग्राम पड़री मुश्तर्का, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—
पीली धातु के आभूषण—
01 अदद कंगन
04 अदद अंगूठियां
02 जोड़ी कान के टप्स
02 जोड़ी कान के झुमके
01 अदद मांगटीका
02 जोड़ी कान की बाली
03 अदद चेन
01 लॉकेट

सफेद धातु के आभूषण एवं बर्तन—
01 अदद कमरपेटी
01 अदद कमर का छल्ला
05 जोड़ी पायल
17 अदद पैर की बिछिया
01 अदद थाली
01 अदद गिलास
01 अदद छोटी प्लेट
01 अदद छोटी कटोरी
01 अदद छोटा चम्मच
अन्य बरामदगी—
मंदिर की सजावट में प्रयुक्त 02 बड़े एवं 02 छोटे झूमर।

पुलिस टीम-
थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसियो मय हमराह उ0नि0 जावेद अहमद खान मय उ0नि0 अखिलेश सिंह, उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह उ0नि0 शिवम त्रिपाठी, उ0नि0 योगन्द्र सिंह,

उ0नि0 अवधराज यादव, हे0का0 पवन कुमार, का0 अरविन्द यादव, का0 परमहंश व म0आ0 सुमन सिंह मय चालक का0 श्रवण कुमार, का0 वीरेन्द्र यादव व का0 रामप्रकाश यादव व का0 अजीत चौहान व का0 कैलाश यादव व का0 नीरज पटेल मय चालक का0 सुनील सिंह का0 शिवशंकर यादव, का0 रविशंकर सोनकर, का0 रोशन पटेल, म0का0 ज्योति मौर्या

SOG/ स्वॉट टीम-

SOG प्रभारी श्री अमित चौरसिया मय हमराह उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 महेंद्र प्रताप, हे0का0 धनंजय राय हे0का0 मोहित राज यादव, का0 जागीर सिंह, का0 सलमान, का0 अरविंद दुबे,का0 आशुतोष पांडे, का0 सचिन, मय चालक हे0का0 राजेंद्र कुमार, मय चालक हे0का0 राजेंद्र प्रसाद सिंह व सर्विलांस सेल-

सर्विलांस सेल प्रभारी उ0नि0 अजीत सिंह मय हे0का0 यशवंत राठौर, हे0का0 सनोज कुमार, का0 संजय यादव का0 सूर्यप्रताप सिंह एवं स्पेशल टीम- स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि श्री विजेन्द्र सिंह, हे0का0 भानु प्रताप सिंह, का0 माधवेश राय, का0 मुकेश पटेल व का0 पीयूष यादव।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा "दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व अपहरण" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अर्जुन प्रजापति को गिरफ्तार किया गया-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा पट्टी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्रीप्रकाश राय मय हमराह का० कपिल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/ वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 123, 65(1), 351(3) बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना पट्टी, प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त अर्जुन प्रजापति पुत्र रामपाल प्रजापति निवासी ग्राम छतेडी थाना पट्टी प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा पट्टी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अर्जुन प्रजापति पुत्र रामपाल प्रजापति निवासी ग्राम छतेडी थाना पट्टी प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 श्रीप्रकाश राय मय हमराह का0 कपिल सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 गिरीश कुमार व का0 विधिचन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज जनपद प्रतापगढ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारन्ट मु0न0 297/21 बनाम विजय प्रताप आदि धारा 323, 506, 504 आईपीसी थाना उदयपुर प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त विजय प्रताप सिंह पुत्र अछैवर नि0ग्रा0 पूरे गजा वैश्य राहाटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- विजय प्रताप सिंह पुत्र अछैवर नि० ग्रा० पूरे गजा वैश्य राहाटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 गिरीश कुमार व का0 विधिचन्द्र थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा सर्विलास सेल की सहयोग से हत्या के प्रयास के अभियोग में 10000/- का ईनामिया वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस व सर्विलांस सेल की प्रभावी कार्यवाही, हत्या का प्रयास के अभियोग में नामजद 01 अभियुक्त अनूप कुमार तिवारी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादी निवासी ग्राम खनवारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि दिनांक 06.02.2026 को रात्रि ग्राम खनवारी में प्रधानी की रंजिश को लेकर सुमीत शुक्ला, रमाशंकर, अनूप कुमार, देव तिवारी, कुलदीप सरोज एवं 04-05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 21/2026 धारा 191(2)/19(3)/115 2)/352/351(3)/109(1)/117 (2) बीएनएस बनाम 05 नामजद व 4-5 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर मय हमराह उ0नि0 विवेक यादव, उ0नि0 गुरदीप सिंह, का0 वीरपाल सिंह, म0का0 पूजा, म0का ज्योति मिश्रा द्वारा सर्विलांस के का0 संजय यादव का0 सूर्य प्रताप सिंह के सहयोग से संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 21/2026 धारा 191(2)/19(3)/115

2)/352/351(3)/109(1)/117 (2) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 10000/- का ईनामिया 01 वांछित अभियुक्त अनूप कुमार तिवारी पुत्र दिनेश कुमार निवासी खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत गोदाही चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अनूप कुमार तिवारी पुत्र दिनेश कुमार निवासी खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अंशू सिंह सेंगर मय हमराह उ0नि0 विवेक यादव, उ0नि0 गुरदीप सिंह, का0 वीरपाल सिंह, म0का0 पूजा, म0का ज्योति मिश्रा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
सर्विलांस सेल- का0 संजय यादव का0 सूर्य प्रताप सिंह

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा "गैंगस्टर एक्ट" के अभियोग से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तो, जावेद उर्फ मिठ्ठ, मो0 मुजीब, असीर अहमद को गिरफ्तार को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तौकलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में अभियुक्त मो० मुजीब के विरुद्ध 04, असीर अहमद के विरुद्ध 04 तथा जावेद उर्फ मिठ्ठ के विरुद्ध 07 अभियोग पंजीकृत हैं। इन अभियोगों में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट सहित अन्य गंभीर प्रकृति के अपराध सम्मिलित हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी मान्धाता श्री धनन्जय राय मय हमराह का0 हरिपाल, रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 गिरधारी यादव मय चालक का0 नवनीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 124/2026 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तौकलपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मो0 मुजीब पुत्र मो0 इबरार नि०ग्राम थरवई,थाना देल्हपुर, जनपद प्रतापगढउम्र करीब 26 वर्ष।
2. असीर अहमद पुत्र अबू ताहिर नि ग्राम तौकलपुर थाना देल्हुपुर,जनपद प्रतापगढउम्र करीब 73 वर्ष।
3. जावेद उर्फ मिठ्ठ पुत्र यूनूस खान निवासी ग्राम तौकलपुर, थाना देल्हुपुर, जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्त मो0 मुजीब पुत्र मो0 इबरार नि०ग्राम थरवई,थाना देल्हपुर, जनपद प्रतापगढउम्र करीब 26 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-93/22 धारा-147,148,149,302,307,323, 504,506 भादवि थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0स0-193/22 धारा-147,149,323,427,504,506 भादवि0 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0स0-415/25 धारा 115(2), 119(1), 190, 191(2), 191(3), 324(4), 351(3), 352 BNS थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

2. अभियुक्त असीर अहमद पुत्र अबू ताहिर नि ग्राम तौकलपुर थाना देल्हुपुर,जनपद प्रतापगढउम्र करीब 73 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

3. मु0अ0स0-269/18 धारा-308, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0स0-158/20 धारा -147, 148, 323, 325, 332, 353, 504, 506 भादवि व 7 CL ACT थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0स0-93/22 धारा-147,148,149,302,307,323, 504,506 भादवि थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

6. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

03- अभियुक्त जावेद उर्फ मिट्ठ पुत्र यूनूस खान निवासी ग्राम तौकलपुर, थाना देल्हुपुर, जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-93/22 धारा-147,148,149,302,307,323, 504,506 भादवि थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0स0-193/22 धारा-147,149,323,427,504,506 भादवि0 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0स0-14/08 धारा-307 IPC (पु0मु0) थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0स0-15/08 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0स0-83/08 धारा-394/411 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

6. मु0अ0स0-120/08 धारा-2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

7. मु0अ0सं0 124/2026 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी मान्धाता श्री धनन्जय राय मय हमराह का0 हरिपाल, रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 गिरधारी यादव मय चालक का0 नवनीत कुमार, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह, रि0का0 सुबोध यादव व रि0का0 रोहन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी के दौरान मु0न0 2096/2021 अ0स0 10/07 धारा 323/504/452/342 भादवि थाना फतनपुर से सम्बन्धित 01 अभियुक्त विजय बहादुर पुत्र सतई नि0 बसिरहा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विजय बहादुर पुत्र सतई नि0 बसिरहा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह, रि0का0 सुबोध यादव व रि0का0 रोहन कुमार थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।